कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पॉचवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

कमांक 75/526/आउशि/शा–7/अनु0–बजट/08 भोपाल, दिनांक 14/01/2009

प्रति,

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय.......................... महाविद्यालय (अग्रणी),
.... मध्यप्रदेश

विषय– वित्तीय वर्ष 2008–09 में शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 1.1.96 से देय यू.जी.सी. वेतनमान् पर एरियर्स पर ब्याज की राशि भुगतान करने बावत् ।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र कमांक– 3201/526/आउशि/बजट–अनु./08 दि. 11.12.08

उपर्युक्त विषय में, **1.1.96 से देय यू0जी0सी0** वेतनमान् **पर एरियर्स राशि पर** ब्याज के भुगतान **के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के संदर्भ में पारित** आदेश दिनांक **25 जुलाई 2007 के परिपालन में,** अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 1.1.96 से देय यू0जी0सी0 वेतनमान् के अंतर्गत भुगतान कुल एरियर्स राशि के 80 प्रतिशत राशि पर दिनांक 23.12.99 से 31.3.2003 तक **9 प्रतिशत साधारण ब्याज दर से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु** संलग्न सूचि अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार कुल राशि **रू0 5,76,03,000/– (रू0 पांच करोड़, छियत्तर लाख, तीन हज़ार)** का बजट आवंटन एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किया जाता है:–

1. संलग्न सूचि के अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों के समक्ष जारी बजट राशि के भुगतान करने के पूर्व सुनिश्चित करे कि देय एरियर्स राशि एवं उस पर निर्धारित किया गया ब्याज की गणना सही है, जिस राशि का भुगतान संबंधित को किया जा रहा है उसे भुगतान की पात्रता है ।
2. आवंटित अनुदान राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित शैक्षणिक स्टाफ शासन द्वारा मान्य/अनुमोदित/पूर्णकालिक पद पर कार्यरत रहे हों । यदि किसी कारण से अधिक भुगतान पाया जाता है तो व वसूली योग्य होगा । इस संबंध में संबंधित से Undertaking (अनुबंध पत्र) अवश्य प्राप्त करें ।
3. आवंटित राशि का शीघ्र आहरण कर संबंधितों को भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें ।
4. उपरोक्त आवंटन इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 11.12.08 के परिपेक्ष्य में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी (गणना पत्रक) के आधार पर किया गया है । अतः आवंटित राशि से यदि भुगतान की जाने वाली राशि अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में अन्तर की राशि का भुगतान संबंधित को संबंधित अनुदान अशासकीय महाविद्यालय द्वारा अपने निजी स्त्रोंतो से किया जावेगा । इसके पश्चात् भुगतान हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।

निरन्तर..

5. जिन अशासकीय महाविद्यालयों से संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में (गणना पत्रक) प्राप्त नहीं हुए है, उन महाविद्यालयों को राशि रू.0 2.00 लाख आवंटित की गई है । अतः ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों अपने शैक्षणिक स्टाफ का गणना पत्रक शिक्षाधिकारी के माध्यम से तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि शेष बकाया राशि के आवंटन पर विचार किया जा सके ।

6. किसी भी प्रकार अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षाधिकारी एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महावि0 के प्राचार्य की होगी ।

7. उपरोक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखें/महालेखाकार /वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेक अनुसार जाच हेतु खुंले रहेंगे ।

8. आवंटित राशि का व्यय संलग्न कम्प्यूटर शीट के अनुसार दार्शेत शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 76 / 526 /आउशि/शा–7/अनु0–बजट/ भोपाल, दिनांक 14 /01/2009

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, विधि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा के निज सहायक ।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
7. वि0क0 अधिकारी, न्यायालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. संबंधित प्राचार्य,.., अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,...................... .... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
9. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश